

जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगी

अनपढ़ युवक के बैंक खाते व आधार कार्ड का इस्तेमाल कर ठगों ने 2.83 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का लालच देकर एक अनपढ़ युवक से बैंक खाता लेकर 2 करोड़ 83 लाख रुपए की साइबर ठगी में दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी। पीड़ित को बैंक ने भी फोन कर बुलाया। पीड़ित को बैंक मैनेजर ने बताया तो वह घबरा गया। इसके बाद पीड़ित ने सदर, साइबर थाना और आखिर में एसपी को परिवाद दिया। एसपी के आदेश से पुरानी आबादी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी जांच हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी सुखवंत सिनेमा के निकट निवासी वीरेंद्र पुत्र श्रीश्रीलाल और जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल के खिलाफ साइबर ठगी व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में पीड़ित 3 बी निवासी 20 वर्षीय रमेशकुमार भाट पुत्र मंगतराम को आरोपी वीरेंद्र ने जलदाय विभाग में

नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उससे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि ले लिए। यह बैंक अकाउंट सेविंग था, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण आरोपी ने पीड़ित को फिर से बुलाकर जेसीटी मिल की एसबीआई शाखा में करंट अकाउंट खुलवाया। इस बैंक अकाउंट की पास बुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड आरोपी ने अपने पास रख लिए। खाते की देशभर के 95 पीड़ितों ने करवा रखी है साइबर शिकायत जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि पीड़ित के इस एसबीआई के करंट अकाउंट की देशभर के 95 लोगों की ओर से साइबर शिकायत विभिन्न थानों में और टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा रखी है। बैंक की स्टेटमेंट लेने के बाद पता चलेगा कि इस करंट खाते में आई 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रुपए की रकम कितने लोगों के खातों से ट्रांसफर हुई है।

जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक 5 माह के दौरान इस खाते में इतना अधिक

पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी

ट्रांजेक्शन हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में इसे 8 अक्टूबर को फ्रीज करवा दिया। अकाउंट का अटैच नंबर आरोपी वीरेंद्र का दिया हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे ही मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी तो आरोपी ने गलत नंबर बताया। महाराष्ट्र पुलिस ने बैंक मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने पीड़ित को बुलाकर सारी बात बताई। रमेश भाट जिसके खाते का दुरुपयोग हुआ। आरोपी वीरेंद्र ने इस बैंक अकाउंट को आगे साइबर फ्रॉड करने वाले जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल को बेच दिया। इस बैंक खाते में 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आरोपी

वीरेंद्र को पुलिस ने तत्काल ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी रोहित गोयल गायब हो गया है। उसकी तलाश से आगे मामले का खुलासा होगा कि इस चैन में कौन-कौन शामिल है। पीड़ित रमेश भाट ने पुलिस परिवाद में बताया कि वह अनपढ़ है और गांव में मजदूरी करके जीवन यापन करता है। उसके कमर में दर्द था। उसे किसी ने बताया कि पुरानी आबादी में सुखवंत सिनेमा के निकट रिवैंड उर्फ वीरेंद्र नाम का युवक है जो कमर दर्द का दवा देता है। उसने इलाज कराया है। पीड़ित उसके पास इलाज करवाने पहुंचा। बातचीत में आरोपी ने पीड़ित से कामकाज के बारे में पूछा। इसके बाद उसने कहा कि वह उसे जलदाय विभाग में हेल्पर की पक्की नौकरी लगवा देगा। उसकी बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने उसे अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेज असली सौंप दिए। कुछ दिन बाद ही आरोपी ने नया बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा। उसने पीड़ित को साथ ले जाकर जेसीटी मिल के निकट

एसबीआई की शाखा में उसका करंट अकाउंट खुलवा दिया। इसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम आरोपी ने अपने पास रख लिए। अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा दिया। इसके बाद खाते में रुपए आते और आरोपी निकालकर इस्तेमाल करते रहे। पीड़ित रमेश भाट ने बताया कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद उसे अपने साथ हुए धोखे की जानकारी मिली। उसने आरोपी वीरेंद्र से बात की तो उसने धक्के देकर भाग दिया और गालियां भी दी। फिर पीड़ित ने अपने गांव में परिचित को बताया। परिवार सदर थाने में दिया। वहां से साइबर थाने भेज दिया। दोबारा परिवार लिखवाकर साइबर थाने में दिया, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद एसपी को परिवाद दिया। एसपी ने पुरानी आबादी थाने को 9 दिसेंबर को पत्र लिखकर मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा। प्रारंभिक जांच में पीड़ित की साइबर फ्रॉड में भूमिका सामने नहीं आई। इसकी रिपोर्ट पर अब 29 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है।

सायबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छत्र गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। फर्जी खाते खलवाकर साइबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध करवाने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छत्रों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजेक्शन को खंगाल रही है। इन चारों आरोपियों से पुलिस को करोड़ों रुपए की चैट मिली है, हालांकि साइबर थाना पुलिस विश्लेषण में जुटी है।

जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व ही साइबर थाना पुलिस ने इसी गिरोह के चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस सभी 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है।

आईपीएस गोपीनाथ शरण कांबले

■ सायबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे आरोपी छत्र, चार मोबाइल जप्त

■ पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजेक्शन को खंगाल रही है, इनमें करोड़ों रुपए की चैट मिली

ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह में शामिल सुभाष नगर भीलवाड़ा निवासी शुभम सिंह, शुभम खटोक, ललित सिंह और हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चार मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह सभी आरोपी भी कर्मोशन पर अकाउंट खोलकर साइबर ठगों तक अकाउंट्स व सिम कार्ड बेचा करते थे। निचले लोगों को करीब 4 से 5 हजार का कर्मोशन देकर उनके डॉक्यूमेंट से अकाउंट और सिम कार्ड खलवाकर आगे भेजते थे।

पांच करोड़ से ज्यादा की चैट मिली

:-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि गिरफ्तार चारों अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल्स और ट्रांजेक्शन सहित चैट्स खंगाली जा रही है। इनमें से एक आरोपी की चैट में 5 करोड़ से ज्यादा की चैट मिली है। हालांकि इसे लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। यह सभी 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से 1 साल से कंटेक्ट में थे। सभी आपस में एक दूसरे को अकाउंट्स बेचने का काम करते थे। बाद में उन अकाउंट्स को आगे साइबर ठगी और अन्य गतिविधियों के लिए भेजा जाता था। आरोपियों के मोबाइल नंबर भी साइबर ठगी से जुड़े

हुए हैं। साइबर थाना पुलिस की जांच में यह सामने आया कि पकड़े जा रहे आरोपी सभी पढ़े लिखे हैं। गिरफ्तार शुभम सिंह बीए कर रहा है। शुभम खटोक 10वीं पास है। हर्षित सिंह 12वीं पास तो वहीं ललित बीसीए पास है। आरोपियों ने अलग-अलग बैंक में खलवाए खाते :-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि हर अकाउंट की आरोपियों के द्वारा अलग कीमत रखी जाती थी। जिस अकाउंट में जितना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है उस अकाउंट की कीमत सबसे ज्यादा होती है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कोऑपरेटिव अकाउंट को यह सभी आरोपी 4 लाख रुपए में बेचा करते थे। सेविंग अकाउंट 50 हजार तो वहीं करंट अकाउंट को दो से तीन लाख रुपए में बेचा करते थे। इन चारों आरोपियों ने सुदूर के नाम पर भी 5 से 6 अकाउंट अलग-अलग बैंक में खुला रखे थे।

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने डॉ. रामावतार प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को पांच हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी प्राचार्य रामावतार द्वारा बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवारी से पांच हजार रुपये रिश्तत की मांग परेशान कर रहा था। जिस पर ए.सी.बी. के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. हनुमानगढ़ के पवन कुमार मीणा अति. पुलिस

60 लाख की अवैध शराब बरामद

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण की ओसियां थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रक से 830 कार्टून अवैध शराब बरामद की है। पंजाब निर्मित अवैध शराब की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक ट्रक को भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी से अवैध शराब तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि ओसियां थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करी को लेकर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने ट्रक में आलू के कट्टे होना बताया। शक होने पर ट्रक को तलाशी ली गई। इस दौरान ट्रक के अंदर अवैध शराब मिली। ट्रक में कुल 830 कार्टून भरे थे। इस पर मामला दर्ज कर आरोपी किशोर कुमार पुत्र चूनाराम जल निवासी दौंगढ आलमपुर, पुलिस थाना घनाऊ, जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया।

3900 किलो मादक पदार्थ नष्ट किया

भीलवाड़ा, (निर्सं)। भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस प्रकरणों में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के तहत 129 मामलों के जन्त करीब 3900 किलो ड्रग सामग्री नष्ट की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेश यादव ने यह जानकारी दी।

प्राचार्य व कम्प्यूटर ऑपरेटर रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने डॉ. रामावतार प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को पांच हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

■ बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवारी से पांच हजार रुपये रिश्तत मांगी

अधीक्षक के नेतृत्व में शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य, श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन ने रिश्तत श्री करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को दिलवाये जिसने रिश्तत राशि पांच हजार रुपये कार्यालय कक्ष में भेज पर रखी पुस्तक व फाईल के बीच में छिपाकर रख दिये, जहां से बरामद कर आरोपी डॉ. रामावतार व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

खेत में की जा रही अफीम की खेती पर पुलिस का छापा

झींडवाना, (निर्सं)। झींडवाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए अफीम के 20000 पौधे जब्त किये हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नरेश की वक्तुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलासर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की फसल बोई गई है, जिसे बाजार में बेचे जाने की योजना है। इस पर थाना अधीक्षकी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने खेत

■ खेत से अफीम के 20000 पौधे किए जप्त, आरोपी गिरफ्तार

■ अफीम की खेती करके बाजार में बेचने वाला था आरोपी

पर छापा मारा, जहां से आरोपी मानाराम को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 2400 वर्गफुट में अफीम की खेती पाई गई। इस दौरान पुलिस ने मौके से अफीम के 20000 पौधे जब्त किए, जिन्हें आरोपी बाजार में बेचने वाला था पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कारों में भिड़ंत, एक की मौत

बीकानेर, (निर्सं)। बीकानेर में हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। स्पीड में कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रही दूसरी कार से जा टकराई। घटना जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में शाम 4:30 बजे नोखा रोड की है। हादसा एसबीआई बैंक के सामने हुआ। इस टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि दो कारों की टक्कर होते ही तेज आवाज आई। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मारुति कार काफ़ी स्पीड में थी। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि मारुति स्पीड में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा गई। हादसे में गंगाशहर निवासी जितेंद्र स्वामी पुत्र पुखराज की मौत हो गई।

स्कूल विलय पर उच्च न्यायालय की रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिनाणी पंचासर का विलय सीनियर सैकेण्डर स्कूल, गिनाणी पंचासर में होने के 16 जनवरी के आदेश पर आगामी रोक लगा दी है।

बीकानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिनाणी पंचासर में अध्ययनरत्न बच्चों के परिजन मुकेश, शांसा व केशव ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के 16 जनवरी के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका अपने अधिवक्ता प्रमेश बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की। अधिवक्ता बोहरा का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया इस विद्यालय के भवन में मात्र पांच ही कक्षाकक्ष हैं। इनमें पहली

कक्षा से बारहवी कक्षा के बच्चों को किस प्रकार से बैठाया जायेगा व दूसरा तर्क यह था कि राज्य सरकार के नियमानुसार न्यून प्रवेश वाले विद्यालय का ज्यादा प्रवेश वाले विद्यालय में विलय किया जायेगा, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गिनाणी पंचासर में 116 विद्यार्थी अध्ययनरत्न हैं एवं राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय गिनाणी पंचासर में मात्र 102 विद्यार्थी अध्ययनरत्न हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय का सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गिनाणी पंचासर में विलय नियम विरुद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के विलय आदेश पर आगामी तारीख पेशी तक रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त को बरी किया

अजमेर, (कासं)। विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) संख्या-2, अजमेर रंजन सिंह की अदालत द्वारा प्रकरण सरकार बनाम भागचंद में अभियुक्त भागचंद गुर्जर को सभी आरोपों से बरी किया गया।

प्रकरण में भागचंद पर कथित पीड़िता का अपहरण करके अहमदाबाद ले जाकर ढाई महीनों तक निरंतर बलात्संग करने का आरोप था। एडवोकेट डॉ. दीपक मूलचंदानी ने बताया कि प्रकरण में अभियुक्त की निर्लिप्तता और उसके निर्दोष होने के समस्त साक्ष्यों को परिलक्षित करने में सुलभता के लिए उसका पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कथन किया कि अभियोजन वक्तु घटना पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम की होना साबित करने में असफल रहा है और न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियोजन की कहानी पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे में विसंगतिपूर्ण कथनों एवं साक्ष्यों के प्रकाश में अभियुक्त पर किसी प्रकार का आरोप साबित नहीं होता है और संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक मूलचंदानी व नितीशा दाधीच एडवोकेट की ओर से की गई।

The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.
Udyog Bhawan, Tikal Marg, C Scheme, Jaipur-302005 Phone: 0141-222761 * Fax 0141-222757
Website: industries.rajabsthan.gov.in/rjsco * e-mail: rjsco@rajabsthan.gov.in
CIN: U91100RJ1965G0001118

ई-निविदा सूचना

निगम में संविदा पर (आउट सोर्स) कमी उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से डिग्-प्रकॉमी मोडर बन्ड ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा eproc.rajabsthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा प्रपत्र eproc.rajabsthan.gov.in के माध्यम से प्राप्त कर सके। अन्य विवरण एवं जानकारी निगम की Website: industries.rajabsthan.gov.in/rjsco या sppp.rajabsthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। UBN No. :RS124255L0800041
हाज.संवाद/सी/24/110736

ऑनलाइन जांब का झांसा देकर लाखों की ठगी

अजमेर, (कासं)। अजमेर में युवक-युवतियों को ऑनलाइन जांब दिलवाने का झांसा देकर शांति ठगों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली। पीड़ितों ने शुक्रवार को एसपी बंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को रकम दिलाने की मांग की। एसपी बंदिता राणा को सौंपे ज्ञापन में पीड़ित उदयगंज निवासी माधुरी सांवरिया ने बताया कि सूरज नामक युवक ने उसे और उसके मित्र पवन से संपर्क किया और ऑनलाइन जांब दिलवाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले सूरज ने वयक्तिक से साढ़े 12 हजार रुपए का टोकन अमाउंट लिया और ढाई हजार रुपए कंसल्टेंसी फीस के रूप में वसूल किए। इसके बाद सूरज ने पीड़ितों से 37 हजार 500 रुपए और लिए थे। समय बीतने के बावजूद जांब नहीं मिलने पर पीड़ितों ने सूरज से संपर्क किया, लेकिन वह

संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बाद में आरोपी ने पीड़ितों को फर्जी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाकर और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर उन्हें और पैसे देने के लिए मजबूर किया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी शांति ठग ने हर व्यक्ति को 35 से 40 हजार रुपए प्रति माह सैलरी का झांसा दिया था। पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे आरोपी के घर गए और उसकी मां को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को मां ने कुछ पैसे लौटा दिए। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने उनके दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।

सायबर ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार : जुरहरा में स्थानीय थाना पुलिस ने मुख्बर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल बिल्डिंग रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुपचा सं. 0294-2421255, 2420183, Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट:- www.udajpur.nic.org
क्रमांक- 0294/2024-25/ई-31 दिनांक- 31/01/2025
(ई-भूगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 31/2024-25
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल राशि रु. 108.48 लाख के कुल 09 कार्यों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्चर प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 31.01.2024 एवं अंतिम तिथि 10.02.2025 तथा निविदा खुलने की तिथि 11.02.2025 रहेगी। निविदा से संबंधित अन्य सम्स्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajabsthan.gov.in, www.sppp.rajabsthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं। UBN No. UNP2425WSOB00179
राज.संवाद/सी/24/11109 अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, उदयपुर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड गिनारल्स लिमिटेड
(इसका उद्देश्य का उद्देश्य) लिमिटेड का कार्यालय, 04, लीड रोड, उदयपुर-313001 (राज.)
फोन नम्बर: (0294)242768/2428163-67, फैक्स: (0294)2428768, 2428799

ई-निविदा सूचना दिनांक- 30/01/2025

ई-निविदा संख्या एवं दिनांक कार्य का विवरण
ई-निविदा संख्या 15/2024-25 गिरल सिग्नाइड बंधन, बांधनेर (राजस्थान) पर 100 MT क्षमता वाले के-ब्रिज की आधुनिक, स्थान, कर्मिणिय एवं परीक्षण हेतु।
UBN No. अनुमानित मात्रा - 1, धरोहर राशि (रु. में) 90,000/-, निविदा प्रपत्र MML2425GLOB00195 मूल्य (रु. में) 1180/-

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com / www.sppp.rajabsthan.gov.in अथवा उप महासंचालक (एमएम) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।
हाज.संवाद/सी/24/11079 अ. महासंचालक (एमएम)

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)
E-Mail लिड- np.sangod05@gmail.com Phone No.-07450-294239
क्रमांक-नं.पासा05/2025/262 दिनांक-29/01/2025

ई-निविदा-सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 261 दिनांक 29.01.2025 के द्वारा कुल 7 कार्य की अनुमानित लागत 39.65 लाख की विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों में सहाम अंशों में पंजीकृत संवेद्यों के ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित सम्स्त विवरण <http://eproc.rajabsthan.gov.in> व www.sppp.rajabsthan.gov.in पर उपलब्ध है।

Work No.	UBN No.	Work No.	UBN No.
1	DLB2425WSOB15826	5	DLB2425WSOB15831
2	DLB2425WSOB15827	6	DLB2425WSOB15832
3	DLB2425WSOB15829	7	DLB2425WSOB15834
4	DLB2425WSOB15830		

प्रशासक अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सांगोद नगरपालिका सांगोद

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त-बीकानेर
कोटा-0151-2226454 ई-मेल- sephedbn@gmail.com
दिनांक-16.01.2025
क्रमांक-ए.सी.बी./303/11/24-25/10425

निविदा सूचना संख्या 03 से 12/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरवद लिफाके में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा एकल लिफाका पद्धति के अनुसार होगी। इस कार्य का निविदा प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 दोपहर 11.00 बजे से दिनांक 13.02.2025 शाम 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है तथा दिनांक 14.02.2025 को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शुद्ध एवं धरोहर राशि ई-चालान के रूप में निविदा प्रपत्र में वरीत पत्र में देय हो, जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.sppp.gov.in व <https://eproc.rajabsthan.gov.in/> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। शर्त सहित निविदा मान्य नहीं होगी। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतः सौमिन है, इसकी बराबर करें

(बलवीर सिंह) अधीक्षण अभियंता
जन. स्वा. अभि. विभाग, वृत्त-बीकानेर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड कोलायत

क्रमांक-3156-57 दिनांक-23.01.2025

Notice Inviting Bid-69 to 78/2024-25

Bid for various works are invited to registered interested bidders upto 01.02.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajabsthan.nic.in & <http://eproc.rajabsthan.gov.in/> of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 273.171 lacs.

Sl. No.	69	70	71	72	73
UBN No.	PHE2425 WSOB08487	PHE2425 WSOB08489	PHE2425 WSOB08491	PHE2425 WSOB08493	PHE2425 WSOB08495
Sl. No.	74	75	76	77	78
UBN No.	PHE2425 WSOB08498	PHE2425 WSOB08499	PHE2425 WSOB084503	PHE2425 WSOB084504	PHE2425 WSOB08506

अतः सौमिन है, इसकी बराबर करें। (धर्मेश कुमार) अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड कोलायत

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
आबकारी भवन 2 गानियावाडा, पंचवटी, उदयपुर-313001
क्रमांक-F.32(B)(1)AP/EX/L/2024-25-03000 part(6)/1474 दिनांक-31.01.2025

पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दूकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आमंत्रित ई-निविदा सूचना में संशोधन

इस कार्यालय की समस्त बंधित दूकानें 1462 दिनांक 28.01.2025 में उत्तीर्ण सारणी के क्रम संख्या 1 से 3 तक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 03.02.2025 दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 05.02.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 05.02.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संकेचित छेला आबकारी अधिकारी कार्यालय

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।
EXC2425GLOB00172

(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR</